सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 14, सोमवार, *शाके* 1942–जनवरी 04, 2021 *Pausa 14, Monday, Saka 1942-January 04, 2021*	

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, नवम्बर 11, 2020

संख्या एफ 1/ RTU यूनियन बहाली/2007-पार्ट-7/23535 :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/ निरस्तीकरण /19/18931 दिनांक 16.7.2019 के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि स्टॉफ यूनियन (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) जोधपुर, जिसकी पंजीयन संख्या जे.डीएच/एआरटीयू/ 17/2005 थी, के द्वारा वर्ष 2009 से 2017 तक की ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 की धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "डी" में वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नही करने के कारण पंजीयन को निरस्त (रद्) कर दिया गया था।

उक्त संगठन द्वारा दिनांक 31.1.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्हे दिनांक 31.1.2019 एवं दिनांक 30.4.2019 को जारी किये गये कारण बताओ (शॉ-काज) नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा दिनांक 19.6.2019 को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की जानकारी भी नही हो पाई तथा वे लगातार कार्यशील रहे है तथा अपने सदस्यों के हितार्थ निरन्तर रूप से कार्य रहे है तथा संगठन की कार्यकारिणी के गत चुनाव 26.4.2016 को हुए थे।

श्रम संघ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा सुना गया। प्रार्थना पत्रों में दिये गये कारणों/स्पष्टीकरण से मै सन्तुष्ठ हूं। अतः जी.पी.कुकरेती, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.) राजस्थान, जयपुर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/19/18931 दिनांक 16.7.2019 मे संलग्न सूची में अंकित श्रम संघ के नाम को उक्त आदेश से विलोपीत करने एवं निरस्त किये गये पंजीयन को बहाल करने का आदेश देता हूं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

<u>पंजीयन बहाल किये गये श्रम संघो का विवरण</u>

क्रम संख्या	श्रम संघ का नाम एवं पता	पंजीयन संख्या	आदेश दिनांक में अंकित क्रम संख्या
1.	कर्मचारी भविष्य निधि स्टॉफ यूनियन, (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) क्षैत्रीय कार्यालय 130, पश्चिम पाल विस्तार योजना, जोधपुर	जे.डीएच /एआरटीयू/17/2005	861

जी.पी.कुकरेती

रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन

अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)

राजस्थान जयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।